

प्रेमक,

श्री आनंद गांगुली,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संलग्न: दिनांक, 4 सितम्बर, 1993

विषय:- विरंजीव भारती स्कूल सेक्टर एम०, आशियाना, मऊ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि विरंजीव भारती स्कूल सेक्टर एम०, आशियाना, मऊ, सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

- 111 विद्यालय की संजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैयक्तिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशिल पर दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इ इक्वायलेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था वैयक्तिक एवं शिक्षात्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ता नहीं दिए गयेगी ।

Sanjay K. Singh  
Principal  
Chiranjiv Bharati School  
Sector - M, Aashiana  
Lucknow - 226012



161. कर्मचारियों की सेवा व शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमति सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

171. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

181. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिचित्रों में रखा जायेगा ।

191. उपरत शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था के कोई अनुमिश्रित अध्यापक कार्यरत नहीं होगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की सूक्ष्म या गिरफ्तारी करती या रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आवासीय प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय

। अतीत मांगणी ।  
उप सचिव ।

संख्या-39901/11/15-7-93-161/1081/92 तद्विनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आचार्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- महान्तीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ लखनऊ ।
- 3- शिक्षा विभाग निरीक्षक लखनऊ ।
- 4- निरीक्षक, आगल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 5- प्रमुख शिक्षा भारतीय स्कूल सेक्टर एमओ, आशियाना, लखनऊ ।

आज्ञा है,

*[Signature]*

। अतीत मांगणी ।  
उप सचिव ।

*[Signature]*

Sanjay K. Singh  
Principal

Chiranjiv Bharati School  
Sector - M, Aashiana  
Lucknow - 226012